

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7037—125—इक्कीस—अ(प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश ईज ऑफ़ ड्रूईंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 18 OF 2026

THE MADHYA PRADESH EASE OF DOING BUSINESS BILL, 2026

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II**INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR EASE OF DOING BUSINESS**

3. State Investment Facilitation Committee.
4. District Investment Facilitation Committee.

CHAPTER III**STATE NODAL AGENCY**

5. State Nodal Agency.
6. Powers and functions of the State Nodal Agency.
7. Delegation of powers.

CHAPTER IV**COMMENCEMENT OF ESTABLISHMENT AND OPERATIONS ON SELF-DECLARATION**

8. Certificate of Establishment.
9. Duties of an Enterprise.

CHAPTER V**SINGLE WINDOW SYSTEM, APPLICATION PROCESSING AND REGULATORY CLEARANCES**

10. Intention to Invest.
11. Applications and Single Window System.
12. Processing of Applications within time limit.
13. Auto-Escalation.

CHAPTER VI**MANAGEMENT OF INDUSTRIAL LAND AND BUILDINGS**

14. Intimation based transactions.
15. Conversion into Bhumiswami Rights (Freehold).
16. General Conditions.
17. Development Norms and Common Infrastructure.

CHAPTER VII

INVESTMENT FACILITATION AND GRIEVANCE REDRESSAL

18. Facilitation of Cases by State and District Investment Facilitation Committee.
19. Investor Facilitation and Grievance Redressal Mechanism.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

20. Penalties.
21. Act to Override State Laws.
22. Power to Remove Difficulties.
23. Power to Give Directions.
24. Power to Make Rules.
25. Power to Amend Schedules.
26. Protection of Action Taken in Good Faith.
27. Repeal and Savings.

Schedule I

Schedule II

Schedule III

Schedule IV

Schedule V

MADHYA PRADESH BILL
No. 18 OF 2026

THE MADHYA PRADESH EASE OF DOING BUSINESS BILL, 2026

A Bill to promote ease of doing business by facilitating the establishment, expansion and operation of enterprises, providing for time-bound and transparent regulatory clearances through a Single Window System, enabling commencement of establishment and operations on self-declaration for low risk enterprises, providing for efficient management of industrial land and buildings, establishing an institutional framework for investment facilitation and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ease of Doing Business Act, 2026.
- (2) It shall extend to the industrial areas in the State of Madhya Pradesh, as may be notified.
- (3) It shall come into force on such date, as the Government shall, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Applicant" means an enterprise or person duly authorised by an enterprise to submit an application on behalf of such enterprise;
- (b) "Application" means a request submitted by an applicant through the Single Window System for obtaining any clearance under this Act;
- (c) "Applicable Acts" means any Central Act or State Act and includes the rules, regulations, notifications or orders made or issued thereunder, governing the grant, processing, renewal, modification, suspension or cancellation of any clearance;
- (d) "Bhumiswami Rights" means the rights of a Bhumiswami under the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (e) "Building Rules" means the Madhya Pradesh State Industrial Land and Building Management Rules issued under this Act and as amended from time to time;
- (F) "Certificate of Establishment" means the certificate issued through the Single Window System under section 8;

- (g) "Clearances" means approvals, consents, permissions, registrations, enrolments, licences, allotments, no-objection certificates, periodic renewals or any other authorisation required under any applicable Act;
- (h) "Commercial Production" means the date, on which an enterprise issues its first supply invoice for goods manufactured or services rendered;
- (i) "Competent Authority" means any designated officer of a department of the Government or a Local Authority, Statutory Body, State owned Corporation, or Other Authority constituted under or established by any State Law, which is entrusted with the powers to grant or issue clearances to an enterprise;
- (j) "District Investment Facilitation Committee (DIFC)" means the District Investment Facilitation Committee constituted under section 4;
- (k) "Enterprise" means any unit engaged in manufacturing, processing, services or any other business or commercial activity;
- (l) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (m) "Green Category" means the category of industries or activities classified as Green Category by the Madhya Pradesh Pollution Control Board, in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board, as amended from time to time;
- (n) "Industrial Area" means any industrial area, industrial park, industrial estate, special investment region, industrial cluster or any other area notified by the Government for industrial development and includes such areas developed, managed, transferred or administered by the Government, its departments, authorities or State owned Corporations authorised by the Government;
- (o) "Industrial Land" means any land or plot allotted, leased, transferred or otherwise held by an enterprise in an industrial area for industrial purposes and includes any building, structure, premises or any part thereof constructed thereon;
- (p) "Intention to Invest" means a proposal submitted under section 10;
- (q) "Investor" means any person, firm, society, company or any other institution proposing to invest in the State;
- (r) "Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited (MPIDC)" means the wholly owned company of the Government, registered as 'MP Industrial Development Corporation Limited' under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), having its headquarter at Bhopal, Madhya Pradesh;
- (s) "State Nodal Agency" means the agency designated under section 5;

- (t) "Notification" means a notification published in the Madhya Pradesh Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;
- (u) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (v) "Single Window System" means the digital platform established under section 11 for submission, processing, tracking and monitoring of applications and grievances;
- (w) "State" means the State of Madhya Pradesh;
- (x) "State Investment Facilitation Committee" means the State Investment Facilitation Committee constituted under section 3;
- (y) "Time limit" means the period notified under the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ki Pradan Ki Guarantee Act, 2010 (No. 24 of 2010) for the disposal of a clearance;
- (z) "White Category" means the category of industries or activities classified as White Category by the Madhya Pradesh Pollution Control Board in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board, as amended from time to time.

CHAPTER II

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR EASE OF DOING BUSINESS

3. State Investment Facilitation Committee.-

The Government shall notify State Investment Facilitation Committee, headed by the Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. The composition and functions of the committee shall be such, as specified under Schedule I

4. District Investment Facilitation Committee.-

The Government shall notify District Investment Facilitation Committee (DIFC), headed by the District Collector. The composition and functions of the committee shall be such, as specified under Schedule II.

CHAPTER III

STATE NODAL AGENCY

5. STATE NODAL AGENCY.-

- (1) For setting up new enterprises or expansion of an existing enterprise, MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDC) shall be the State Nodal Agency for the purpose of this Act, unless the Government by notification, authorises any other entity also as the State Nodal Agency:

Provided that the Government may also notify any other authority as a State Nodal Agency, for any industrial area within the State and may specify such powers and functions of such agency, as may be necessary.

- (2) An Ease of Doing Business Secretariat may be established for the purposes of facilitation, monitoring, coordination and operational support under this Act, which shall function under the control and supervision of the State Nodal Agency and may serve one or more State Nodal Agencies.

6. Power and functions of the State Nodal Agency.-

- (1) The State Nodal Agency designated under Section 5 shall act as the single point of contact for enterprises for disposal of clearances and shall exercise such functions, as specified in Schedule III.
- (2) The powers and functions of the State Nodal Agency under this Act, shall be in addition to and not in derogation of, the powers and functions otherwise vested in it under any other law for the time being in force.

7. Delegation of powers.-

Every Department shall, within six months from the date of notification of this Act, delegate its powers for the disposal of the clearances specified in Schedule IV to the State Nodal Agency. Where such delegation is not permissible under the applicable Act, the concerned department shall, within the said period, designate or depute a Competent Authority to the State Nodal Agency, for the disposal of such clearances. Schedule IV shall not be construed as exhaustive and may be amended by the Government, by notification, from time to time.

CHAPTER IV

COMMENCEMENT OF ESTABLISHMENT AND OPERATIONS ON SELF-DECLARATION

8. Certificate of Establishment.-

- (1) An enterprise falling under the White or Green Category may furnish, a self-declaration, through the Single Window System, in such form and manner, as may be prescribed, in respect of the clearances specified in Schedule V and shall, immediately upon submission of such self-declaration, be issued a 'Certificate of Establishment' authorising it to commence construction and other activities incidental to the establishment of such unit.
- (2) The Certificate of Establishment shall remain valid for a period of three years from the date of its issuance, within which the enterprise shall obtain all applicable statutory clearances, including the clearances specified in Schedule V.
- (3) Upon obtaining clearances under sub-section (2), an enterprise falling under White or Green Category may commence operations on the basis of a fresh self-declaration submitted through the Single Window System.
- (4) An enterprise referred to in sub-section (1) shall be exempted from inspections for a period of three years from the date of issuance of the Certificate of Establishment and upon commencement of operations under sub-section (3), for a further period of two years, subject to compliance with the conditions under the Applicable Acts:

Provided that nothing contained in this sub-section shall prevent the Competent Authority from carrying out an inspection, where such inspection is necessary in the interest of public health, public safety, environmental protection or national security.

- (5) The Government may, by notification, specify additional categories of enterprises or clearances, eligible for the benefits provided under this section.
- (6) Nothing contained in this section shall exempt any enterprise from compliance with any Central Law.

9. Duties of an Enterprise.-

- (1) Every enterprise submitting a self-declaration under this Chapter shall furnish true and complete information and shall not make any false or misleading statement or suppress any material fact.
- (2) Every enterprise availing the benefit under this Chapter shall comply with the applicable provisions of the law governing the establishment, construction and operation of such enterprise.
- (3) Where an enterprise has obtained any benefit under this Chapter by furnishing false or misleading information or suppressing any material fact, the State Nodal Agency may, after giving the enterprise an opportunity of being heard, withdraw such benefit, without prejudice to any other action under the applicable Acts.

CHAPTER V

SINGLE WINDOW SYSTEM, APPLICATION PROCESSING AND REGULATORY CLEARANCES

10. Intention to invest.-

- (1) Any person intending to establish or expand an enterprise may voluntarily submit an Intention to Invest to the State Nodal Agency, in such form and manner, as may be prescribed.
- (2) An Intention to Invest shall be non-binding and shall neither constitute an application nor confer any right or obligation under this Act.

11. Applications and Single Window System.-

- (1) Every application for a clearance under this Act shall be submitted through the Single Window System, in such form and manner, as may be prescribed.
- (2) The State Nodal Agency shall establish and maintain the Single Window System for receipt, processing and disposal of applications submitted through a combined application form, as prescribed.

12. Processing of applications within time limit.-

- (1) Every application shall be processed and disposed of within the specified time limit.
- (2) The Competent Authority may require additional information for the disposal of an application, however, any such requisition shall be made only once and within seven days from the date of receipt of the application.

13. Auto-Escalation.-

- (1) Where an application is not disposed of within the time limit, it shall stand automatically escalated to the next higher authority in the concerned Department, in such manner, as may be prescribed.
- (2) Nothing contained in this Act shall affect any appeal, revision or other remedy available under the Applicable Acts.

CHAPTER VI**MANAGEMENT OF INDUSTRIAL LAND AND BUILDINGS****14. Intimation based transactions.-**

- (1) An enterprise may, on the basis of an intimation to the Competent Authority:
 - (i) transfer, re-assign or sub-lease any industrial land;
 - (ii) subdivide, split, amalgamate, pool, with other allottees, their Industrial land;
 - (iii) transfer its enterprise to an affiliate, subsidiary, joint venture or any other successor entity; and
 - (iv) change of land use subject to permissibility, as may be prescribed.

15. Conversion into Bhumiswami Right (Freehold).-

An enterprise may be permitted to get its Leasehold rights over industrial land converted into Bhumiswami rights (freehold).

16. General conditions.-

Every transaction or activity under Sections 14 and 15 shall be subject to such premium, fees, charges and such other conditions, as may be prescribed under Building Rules.

17. Development norms and common infrastructure.-

- (1) The Government, may, in industrial areas,-
 - (i) prescribe industry-friendly development norms, including floor area ratio, setbacks, ground coverage, plot sizes, parking, height restrictions and such other development parameters, particularly for micro, small and medium enterprises;
 - (ii) permit Economically Weaker Sections or low cost housing for workers, potential workers and economically weaker sections and promote the concept of Walk-to-Work within industrial areas; and
 - (iii) provide, develop, operate or maintain, either by itself or through Public-Private Partnership, common infrastructure and services, including utilities, logistics, fire safety infrastructure (including public fire hydrants), common effluent treatment systems, worker safety, welfare, crèches and such other facilities, as may be prescribed and recover such fees or user charges, as may be prescribed.
- (2) Industrial establishments situated outside industrial areas may establish or utilise common infrastructure and services, including fire safety, common effluent treatment, worker safety and welfare, by pooling their resources.

CHAPTER VII**INVESTMENT FACILITATION AND GRIEVANCE REDRESSAL****18. Facilitation of Cases by State and District Investment Facilitation Committee.**

The State and District Investment Facilitation Committee constituted under Section 3 and 4 shall facilitate, coordinate and assist in the resolution of issues, inter-departmental coordination, investor grievances and investment projects.

19. Investor Grievance Redressal Mechanism. -

- (1) Any enterprise aggrieved during its lifecycle or face any difficulty may submit its grievance through the Single Window System.
- (2) The State Nodal Agency shall monitor and review the grievances submitted and shall facilitate their resolution through coordination with the concerned Departments and Competent Authorities.

CHAPTER VIII**MISCELLANEOUS****20. Penalties.**

Where any Competent Authority, officer, employee of State Nodal Agency fails to process, dispose of any clearance, within the time limits, such authority, officer, employee shall be liable for imposition of penalty in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ki Pradan Ki Guarantee Act, 2010 (No. 24 of 2010) and the rules made thereunder.

21. Act to override State Laws.

The provisions of this Act shall, as far as possible, be construed in harmony with the provisions of any other State law for the time being in force. Where any inconsistency arises, such State law shall, to the extent possible, be interpreted and applied in a manner, that gives effect to the provisions of this Act.

22. Power to remove difficulties.-

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years, from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

23. Power to give directions.-

The Government may, from time to time, issue such general or special directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may be considered necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act.

24. Power to make rules.-

- (1) The Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (i) the form and manner for furnishing self-declarations, Intention to Invest, applications, Combined Application Forms and other documents under Sections 8, 10 and 11;
 - (ii) the manner of automatic escalation of applications under sub-section (1) of Section 13;
 - (iii) the conditions and manner governing matters under Chapter VI;
 - (iv) the powers, functions and manner of facilitation by the State Investment Facilitation Committee and District Investment Facilitation Committee under Section 18;
 - (v) the manner for submission, acknowledgement, monitoring, facilitation, coordination, disposal and communication of investor grievances under Section 19;
 - (vi) any other matter which is to be or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

25. Power to amend Schedules.-

- (1) The Government may, by notification published in the Official Gazette, add to, omit from, amend, vary or modify any Schedule to this Act and upon publication of such notification, the Schedule shall stand amended accordingly.
- (2) Every schedule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

26. Protection of action taken in good faith.-

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, any Committee constituted under this Act, the State Nodal Agency, any Competent Authority, the Ease of Doing Business Secretariat or any officer, employee or member thereof, in respect of anything, which is done or intended to be done in good faith in pursuance of this Act or any rule, notification, order or direction made or issued thereunder.

27. Repeal and saving. -

- (1) On and from the date of commencement of this Act, the following enactments shall stand repealed, namely:-
 - (i) the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008); and
 - (ii) the Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhiniyam, 2023 (No. 13 of 2023).

- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, including any right, privilege, obligation, liability, approval, clearance, permission, registration, licence, certificate, exemption, concession, incentive, notification, order or direction issued, any proceedings or applications pending or any other matter arising under the repealed enactments, shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or take under the corresponding provisions of this Act and shall continue to remain in force until modified, superseded or otherwise dealt with in accordance with this Act.

Explanation. For the removal of doubts, it is hereby declared that any approval, clearance, permission, registration, allotment, lease, exemption, concession or incentive granted under either of the repealed enactments and subsisting immediately before the commencement of this Act, shall not be rendered invalid or require fresh approval solely by reason of such repeal.

SCHEDULE - I

[See Section 3]

Composition of State Investment Facilitation Committee and its powers and functions

A. Composition-

1. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh - Chairperson
2. Secretary In-charge, Department of Industrial Policy & Investment Promotion Member-Convener
3. Secretary In-charge, Finance Department - Member
4. Secretary In-charge, Revenue Department - Member
5. Secretary In-charge, Urban Development and Housing Department- Member
6. Secretary In-charge, Energy Department - Member
7. Secretary In-charge, Labour Department - Member
8. Secretary In-charge, Environment Department - Member
9. Secretary In-charge, MSME Department - Member
10. Secretary In-charge, Madhya Pradesh Pollution Control Board - Member
11. Secretary In-charge, Home Department - Member
12. Such other Secretaries, Heads of Departments, officers, representatives of Government agencies or domain experts as may be nominated or notified by the Government from time to time - Member.

B. Powers & Functions-

The State Investment Facilitation Committee shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) provide policy guidance and strategic oversight for the implementation of this Act;
- (ii) review and monitor investment facilitation, implementation of this Act and the performance of the Single Window System;
- (iii) issue such directions or recommendations, consistent with the Applicable Acts, as may be necessary for the effective implementation of this Act;
- (iv) consider policy and inter-departmental matters relating to industrial development and investment facilitation, and meet at least once every quarter; and
- (v) exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Government;

SCHEDULE - II

[see section 4]

Composition of District Investment Facilitation Committee and its powers and functions

A. Composition-

1. Collector of the District - Chairperson
2. General Manager, District Trade and Industries Centre/ Executive Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited Member-Convener*
3. Superintendent Engineer/Executive Engineer, Electricity Distribution Company - Member
4. Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board - Member
5. District Labour Officer - Member
6. Executive Engineer, Public Health Engineering Department - Member
7. Chief Municipal Officer/Commissioner of concerned Urban Local Body - Member
8. District Officer, Weights & Measures - Member
9. Deputy Director, Industrial Health and Safety/Inspector of Factories - Member
10. Fire Officer or representative - Member
11. Such other officers or representatives of Departments, agencies, local bodies or service providers as may be nominated or notified by the Government from time to time - Member.

*In districts where a Regional Office of Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited is established, the Executive Director of the concerned Regional Office of Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited shall act as the Member-Convener of the Committee.

B. Powers and Functions-

The District Investment Facilitation Committee shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) review, monitor and facilitate the processing and timely disposal of applications submitted through the Single Window System;
- (ii) facilitate the establishment, operation and expansion of enterprises by coordinating with Competent Authorities, district authorities, local bodies and other stakeholders;
- (iii) review the progress of investment projects, resolve implementation bottlenecks and monitor grievances relating thereto;
- (iv) invite any Competent Authority, officer or domain expert as a special invitee for its deliberations and exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed; and
- (v) meet at such intervals as may be necessary, but not less than once every month.

SCHEDULE - III

[see section 6(1)]

Powers and functions of the State Nodal Agency

The State Nodal Agency designated under section 5 shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) receive, process, facilitate and dispose of applications for clearances submitted through the Single Window System or integrated departmental portals;
- (ii) facilitate enterprises and coordinate with Departments, Competent Authorities, local bodies and other agencies for effective implementation of this Act;
- (iii) monitor investment projects, applications and grievances, and facilitate resolution of bottlenecks;
- (iv) call for such information, records, returns or reports as may be necessary for carrying out the purposes of this Act;
- (v) review the regulatory framework and recommend regulatory, institutional and process reforms, including inclusion or exclusion of clearances under this Act;
- (vi) monitor and publish the Turn Around Time for grant of clearances and commencement of construction and operations through the Single Window System, analyse queries, delays and rejections, and recommend measures for simplification, reduction of turnaround time and continuous improvement of service delivery.
- (vii) engage agencies or service providers including from private sectors for investor facilitation, coordination and support under this Act; and
- (viii) perform such other functions as may be assigned by the Government under this Act.

SCHEDULE - IV

[see section 7]

Clearances under the State Nodal Agency

S.no	Name of Service	Name of Department
(1)	(2)	(3)
1.	Society Registration	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
2.	Partnership Firm Registration	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
3.	Co-operative Society Registration	Cooperative Department
4.	Change of Land Use (Diversion)	Revenue Department
5.	Certificate for Non-Availability of Water	Public Health Engineering Department
6.	IT Unit Certificate	Science and Technology Department
7.	Industrial Land Allotment	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
8.	Building Plan Approval in Industrial Areas	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
9.	Water Connection in Industrial Areas	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
10.	Modification of Building Plan in Industrial Area	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
11.	Building Plan Approval	Urban Development and Housing Department
12.	Fire Plan Approval	Urban Development and Housing Department
13.	Trade Licence for Industrial/Commercial Establishments	Urban Development and Housing Department
14.	Signage Licence	Urban Development and Housing Department
15.	Certificate for Lift Installation	Urban Development and Housing Department
16.	Consent to Establish - White Category	Environment Department
17.	Consent to Establish - Green Category	Environment Department

Sl.No. (1)	Name of Service (2)	Name of Department (3)
18.	Consent to Establish-Orange-Category	Environment Department
19.	Consent to Establish-Red Category	Environment Department
20.	Consent to Operate-White Category	Environment Department
21.	Consent to Operate-Green Category	Environment Department
22.	Consent to Operate-Orange Category	Environment Department
23.	Consent to Operate-Red Category	Environment Department
24.	Renewal of Consent to Operate-White Category	Environment Department
25.	Renewal of Consent to Operate-Green Category	Environment Department
26.	Renewal of Consent to Operate-Orange Category	Environment Department
27.	Renewal of Consent to Operate-Red Category	Environment Department
28.	Authorisation under Hazardous Waste Management Rules.	Environment Department
29.	Authorisation under Solid Waste Management Rules.	Environment Department
30.	Authorisation under Construction and Demolition Waste Rules.	Environment Department
31.	Authorisation under Bio-Medical Waste Management Rules.	Environment Department
32.	Approval of Electrical Infrastructure Estimates	Energy Department
33.	DG Set Drawing Approval (100-500 KVA)	Energy Department
34.	DG Set Inspection Approval (100-500 KVA)	Energy Department
35.	DG Set Drawing Approval (500-5000 KVA)	Energy Department
36.	DG Set Inspection Approval (500-5000 KVA)	Energy Department
37.	DG Set Drawing Approval (Above 5000 KVA)	Energy Department
38.	DG Set Inspection Approval (Above 5000 KVA)	Energy Department
39.	Grid Connectivity Approval for Solar and Wind Power Producers.	Energy Department
40.	Electrical Safety Certificates	Energy Department
41.	Registration under Shops and Establishments Act	Labour Department
42.	Contractor Licence under Contract Labour Act	Labour Department
43.	Registration of Principal Employer under Contract Labour Act.	Labour Department

Sl.No. (1)	Name of Service (2)	Name of Department (3)
44.	Factory Plan Approval	Labour Department
45.	Factory Licence	Labour Department
46.	Licence under Inter-State Migrant Workmen Act	Labour Department
47.	Registration under Motor Transport Workers Act	Labour Department
48.	Registration of Building and Other Construction Workers.	Labour Department
49.	Boiler Registration	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
50.	Permission for Transfer of Boiler	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
51.	Approval for Manufacturing of Boilers	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
52.	Registration of Boiler Manufacturer	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
53.	Registration of Boiler Repairer	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
54.	Registration of Boiler Erector	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
55.	Application for new manufacturer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
56.	Application for renewal of manufacturer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
57.	New dealer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
58.	Renewal of dealer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
59.	New repairer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
60.	Renewal of repairer licence	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
61.	Registration of Manufacturer/Importer/Packer of Package items	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department

Sl.No. (1)	Name of Service (2)	Name of Department (3)
62.	Original Stamping of Weighing & Measuring Instruments (Such Weighing Instruments Which are brought to Office or Camp).	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
63.	Original Stamping of Weighing & Measuring Instruments (Weighing Instruments Which should not be removed from their Place).	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
64.	Original Stamping of Petrol/Diesel Dispensing Pump	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
65.	Original Stamping of Flow Meter	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
66.	Original Stamping of CNG/LPG Dispensing Pump	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
67.	Original Stamping of Storage Tank	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
68.	Re-verification of Weighing & Measuring Instruments (Such Weighing Instruments Which are brought to Office or Camp)	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
69.	Re-verification of Weighing & Measuring Instruments (Weighing Instruments Which Should not be removed from their Place)	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
70.	Re-verification of Petrol/ Diesel Dispensing Pump	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
71.	Re-verification of Flow Meter	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
72.	Re-verification of CNG/LPG Dispensing Pump	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
73.	Re-verification of Storage Tank	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
74.	Warehousing License (Food Grains)	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
75.	Employee Profession Tax Registration	Commercial Tax Department
76.	Employer Profession Tax Registration	Commercial Tax Department

SCHEDULE V**[See section 8]****Clearances Eligible for Commencement of Construction and Establishment
Activities on the Basis of Self-Declaration**

Sl.No. (1)	Name of Service (2)	Department (3)
1.	Building Plan Approval in Industrial Areas	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
2.	Modification of Building Plan in Industrial Area	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
3.	Trade Licence for Industrial/Commercial Establishments	Urban Development and Housing
4.	Consent to Establish-White Category	Environment Department
5.	Consent to Establish-Green Category	Environment Department
6.	Consent to Operate-White Category	Environment Department
7.	Consent to Operate-Green Category	Environment Department
8.	Registration under Shops and Establishments Act	Labour Department
9.	Contractor Licence under Contract Labour Act	Labour Department
10.	Registration of Principal Employer under Contract Labour Act	Labour Department
11.	Factory Plan Approval	Labour Department
12.	Licence under Inter-State Migrant Workmen Act	Labour Department
13.	Registration under Motor Transport Workers Act	Labour Department
14.	Registration of Building and Other Construction Workers	Labour Department
15.	Boiler Registration	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
16.	Permission for Transfer of Boiler	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
17.	Approval for Manufacturing of Boilers	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
18.	Registration of Boiler Manufacturer	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
19.	Registration of Boiler Repairer	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
20.	Registration of Boiler Erector	Department of Industrial Policy & Investment Promotion
21.	Registration of Manufacturer/Importers/ Packer of Packaged Items	Food and Civil Supplies and Consumer Protection Department
22.	Employee Profession Tax Registration	Commercial Tax Department
23.	Employer Profession Tax Registration	Commercial Tax Department

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Government of Madhya Pradesh has undertaken significant reforms to promote industrial development by creating a transparent, predictable, digital and investor-friendly regulatory ecosystem. In furtherance of the national initiatives on Ease of Doing Business, Business Reforms, Compliance Reduction, Deregulation and Trust Based Governance, it has become necessary to provide a comprehensive statutory framework for facilitating the establishment, expansion and operation of enterprises in the State.

2. The Bill seeks to establish an integrated institutional and regulatory framework by providing for a State Investment Facilitation Committee, District Investment Facilitation Committee, State Nodal Agency and Ease of Doing Business Secretariat, a Single Window System for time-bound processing of regulatory clearances, commencement of establishment and operations on the basis of self-declaration in specified cases, efficient management of industrial land and buildings, digital processing of applications, effective inter & departmental coordination and a transparent, accountable and investor-centric governance framework.

3. The Bill further seeks to facilitate industrial investment through simplified regulatory processes, delegation of powers to the State Nodal Agency, streamlined management of industrial land and buildings, promotion of modern industrial infrastructure, reduction of procedural burden and strengthening of digital governance and ease of doing business in the State.

4. The Bill also seeks to repeal the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 and the Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapna Evam Parichalan Ka Saralikaran Adhiniyam, 2023, and to consolidate and modernise the legal framework relating to investment facilitation and ease of doing business under a single comprehensive legislation.

5. The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

6. Hence this Bill.

BHOPAL:

DATED THE 19th JULY, 2026

KRISHNA GAUR

Member-in-Charge.

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12610—मप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 18 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०२६

मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, २०२६

खण्ड :

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
२. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु संस्थागत ढांचा

३. राज्य निवेश संवर्धन समिति
४. जिला निवेश संवर्धन समिति

अध्याय-तीन
राज्य नोडल एजेंसी

५. राज्य नोडल एजेंसी
६. राज्य नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और कृत्य
७. शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय-चार

स्व-घोषणा के आधार पर स्थापना और परिचालन का प्रारंभ

८. स्थापना का प्रमाण-पत्र
९. उद्यम के कर्तव्य

अध्याय-पांच

एकल खिड़की प्रणाली, आवेदनों का संसाधन और विनियामक स्वीकृतियाँ

१०. निवेश आशय
११. आवेदन और एकल खिड़की प्रणाली
१२. समय सीमा में आवेदनों पर कार्यवाही
१३. स्वतः वृद्धि

अध्याय-छह

औद्योगिक भूमि और भवनों का प्रबंधन

१४. सूचना-आधारित संव्यहार
१५. भूमिस्वामी अधिकार (फ्रीहोल्ड) में संपरिवर्तन
१६. सामान्य शर्तें
१७. विकास मापदंड और सामान्य अधोसंरचना

अध्याय-सात

निवेश संवर्धन और शिकायत निवारण

१८. राज्य और जिला निवेश संवर्धन समिति द्वारा प्रकरणों का सुविधाकरण
१९. निवेश शिकायत निवारण तंत्र

अध्याय-आठ

विविध

२०. शास्तियां
२१. अधिनियम का राज्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव
२२. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
२३. निर्देश देने की शक्ति
२४. नियम बनाने की शक्ति
२५. अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति
२६. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
२७. निरसन और व्यावृत्तियों
- अनुसूची - एक
- अनुसूची - दो
- अनुसूची - तीन
- अनुसूची - चार
- अनुसूची - पांच

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०२६

मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, २०२६

उद्यमी की स्थापना, विस्तार एवं परिचालन को सुगम बनाने, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध एवं पारदर्शी विनियामक स्वीकृतियाँ उपलब्ध करने, निम्न जोखिम वाले उद्यमों को स्व-घोषणा के आधार पर स्थापना एवं परिचालन प्रारंभ करने में समर्थ बनाने, औद्योगिक भूमि एवं भवनों के कुशल प्रबंधन का उपबंध करने निवेश सुविधा हेतु एक संस्थागत ढाँचे की स्थापना करने तथा उससे संबंधित अध्या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध कर व्यवसाय सुगमता को संवर्धित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम २०२६ है.

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों तक होगा, जैसा कि अधिसूचित किया जाए.

(३) यह ऐसे तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसी कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

परिभाषाएं.

(क) “आवेदक” से किसी उद्यम या ऐसे उद्यम द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है. जो ऐसे उद्यम की ओर से आवेदन प्रस्तुत करता है.

(ख) “आवेदन” से एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन किसी स्वीकृति को प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुरोध अभिप्रेत है.

(ग) “प्रयोज्य अधिनियम” से अभिप्रेत कोई केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम है, और इसके अंतर्गत उसके अधीन बनाए गए या जारी किए गए नियम विनियम, अधिसूचनाएँ या आदेश भी सम्मिलित है. जो किसी स्वीकृति के अनुदान प्रक्रिया नवीनीकरण उपांतरण निलंबन या निरसन को शासित करते हैं.

(घ) “भूमिस्वामी अधिकार” से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५६ (१९५६ का २०) के उपबंधों के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार अभिप्रेत हैं.

(ङ) “भवन नियम” से समय-समय पर यथासंशोधित तथा इस अधिनियम के अधीन जारी मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम अभिप्रेत है.

(च) “स्थापना प्रमाण-पत्र” से धारा ८ के अधीन एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(छ) “स्वीकृतियाँ” से अभिप्रेत अनुमोदन सहमति अनुज्ञाएँ पंजीयन नामांकन, अनुज्ञप्तियाँ आवंटन अनापत्ति प्रमाण-पत्र, आवधिक नवीनीकरण अथवा किसी प्रयोज्य अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई अन्य प्राधिकार अभिप्रेत है.

- (ज) “वाणिज्यिक उत्पादन” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस दिन कोई उद्यम विनिर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं के लिए अपना प्रथम आपूर्ति चालान जारी करता है।
- (झ) “सक्षम प्राधिकारी” से शासन के किसी विभाग का कोई पदाभिहित अधिकारी अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण सांविधिक निकाय, राज्य के स्वामित्व वाले निगम अथवा किसी राज्य विधि के अधीन या द्वारा गठित अथवा स्थापित अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है। जिसे किसी उद्यम को स्वीकृतियाँ अनुदत्त या जारी करने की शक्तियाँ प्रदत्त हैं।
- (ञ) “जिला निवेश संवर्धन समिति (डीआईएफसी)” से धारा ४ के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है,
- (ट) “उद्यम” से विनिर्माण, प्रसंस्करण, सेवाओं अथवा किसी अन्य कारबार अथवा वाणिज्यिक क्रियाकलाप में लगी कोई इकाई अभिप्रेत है।
- (ठ) “सरकार” से मध्यप्रदेश सरकार अभिप्रेत है।
- (ड) “हरित श्रेणी” से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर यथासंशोधित हरित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत उद्योगों अथवा क्रियाकलापों की श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ढ) “औद्योगिक क्षेत्र” से कोई औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक संपदा विशेष निवेश क्षेत्र, औद्योगिक समूह अथवा सरकार द्वारा औद्योगिक विकास हेतु अधिसूचित या कोई अन्य क्षेत्र अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, जो सरकार उसके विभागों प्राधिकरणों अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य के स्वामित्व वाले निगमों द्वारा विकसित, प्रबंधित, अंतरित अथवा प्रशासित किए जाते हैं;
- (ण) “औद्योगिक भूमि” से किसी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए किसी उद्यम को आबंटित, पट्टे पर दी गई, अंतरित अथवा अन्यथा धारित कोई भूमि अथवा भूखंड अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत उस पर निर्मित कौर्ड भवन, संरचना परिसर अपा उसका कोई भाग भी सम्मिलित है;
- (त) “निवेश आशय” से धारा १० के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अभिप्रेत है।
- (थ) “निवेशक” से राज्य में निवेश करने का प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति फर्म, समिति, कंपनी अथवा कोई अन्य संस्था अभिप्रेत है;
- (द) “एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआईडीसी)” से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का क्रमांक १८) के अधीन एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में पंजीकृत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी अभिप्रेत है, जिसका मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश में स्थित है।
- (ध) “राज्य नोडल अभिकरण” से धारा ५ के अधीन पदाभिहित अभिकरण अभिप्रेत है।
- (न) “अधिसूचना” से मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” शब्द का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा;
- (प) “विहित” से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है;
- (फ) “एकल खिड़की प्रणाली” से आवेदनों और परिवादों के प्रस्तुतीकरण, प्रक्रिया, अनुरेखण ओर अनुवीक्षण के लिए धारा ११ के अधीन स्थापित डिजिटल मंच अभिप्रेत है।

- (ब) “राज्य” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;
- (भ) “राज्य निवेश संवर्धन समिति” से धारा ३ के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (म) “समय-सीमा” से अभिप्रेत किसी स्वीकृति के निपटान हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० के अधीन अधिसूचित अवधि है;
- (य) “श्वेत श्रेणी” से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार को समय-समय पर यथासंशोधित हो, श्वेत श्रेणी के रूप में वर्गीकृत उद्योगों अथवा क्रियाकलापों की श्रेणी अभिप्रेत है.

अध्याय दो

ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस हेतु संस्थागत ढांचा

३. सरकार, मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य निवेश सुविधा समिति अधिसूचित करेगी. समिति का गठन और कृत्य अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे. राज्य निवेश संवर्धन समिति,
४. सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिला निवेश सुविधा समिति (डीआईएफसी) अधिसूचित करेगा। समिति का गठन और कृत्य अनुसूची २ के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे. जिला निवेश संवर्धन समिति.

अध्याय तीन

राज्य नोडल एजेंसी

५. (१) नए उद्यमों की स्थापना अथवा किसी विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआईडीसी) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य नोडल एजेंसी होगा, जब तक कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अन्य संस्था की भी राज्य नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत न करें. राज्य नोडल एजेंसी.
- परंतु सरकार राज्य के भीतर किसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसी अन्य एजेंसी को राज्य नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी तथा ऐसी एजेंसी की ऐसी शक्तियां एवं कृत्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो आवश्यक हो.
- (२) इस अधिनियम के अधीन सुविधा, अनुवीक्षण, समन्वय एवं परिचालनात्मक सहायता के प्रयोजनों के लिए एक ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस सचिवालय स्थापित किया जा सकेगा जो राज्य नोडल एजेंसी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा एक या अधिक राज्य नोडल एजेंसियों के लिए कार्य कर सकेगा.
६. (१) धारा ५ के अधीन पदाभिहित राज्य नोडल एजेंसी, उद्यमों के लिए स्वीकृतियों के निपटान हेतु एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और अनुसूची ३ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार कृत्यों का प्रयोग करेगा. राज्य नोडल एजेंसी की शक्तियों और कृत्य.
- (२) इस अधिनियम के अधीन राज्य नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और कृत्य, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसमें निहित शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे.
७. प्रत्येक विभाग, इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से छह माह के भीतर अनुसूची ४ में विनिर्दिष्ट स्वीकृतियों के निपटान हेतु अपनी शक्तियां राज्य नोडल एजेंसी को प्रत्यायोजित करेगा. जहाँ ऐसा प्रत्यायोजन प्रयोज्य अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वहीं संबंधित विभाग उक्त अवधि के भीतर, ऐसी स्वीकृतियों के निपटान हेतु राज्य नोडल एजेंसी में किसी सक्षम प्राधिकारी को पदाभिहित अथवा प्रतिनियुक्त करेगा. अनुसूची ४ को संपूर्ण नहीं माना जाएगा, तथा अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर उसमें संशोधन किया जा सकेगा. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

अध्याय-चार

स्व-घोषणा के आधार पर स्थापना और परिचालन का प्रारंभ

स्थापना
प्रमाण-पत्र

८. (१) श्वेत अथवा हरित श्रेणी के अंतर्गत आने वाला कोई उद्यम, अनुसूची ५ में विनिर्दिष्ट स्वीकृतियों के संबंध में विहित प्ररूप एवं रीति से एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से स्व-घोषणा प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसी स्व-घोषणा प्रस्तुत किए जाने के तत्काल पश्चात् उसे "स्थापना प्रमाण-पत्र" जारी किया जाएगा, जो उसे निर्माण कार्य तथा ऐसे उद्यम की स्थापना से आनुषंगिक अन्य गतिविधियाँ प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- (२) स्थापना प्रमाण-पत्र, उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा, जिसके भीतर उद्यम अनुसूची ५ में विनिर्दिष्ट स्वीकृतियों सहित सभी प्रयोज्य सांविधिक स्वीकृतियाँ प्राप्त करेगा:
- (३) उपधारा (२) के अधीन स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के पश्चात्, श्वेत अथवा हरित श्रेणी के अधीन आने वाला कोई उद्यम, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से विहित प्ररूप एवं रीति से नई स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के आधार पर, अपना परिचालन प्रारंभ कर सकेगा।
- (४) उपधारा (१) में निर्दिष्ट उद्यम, स्थापना प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा उपधारा (३) के अधीन परिचालन प्रारंभ किए जाने पर, दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, प्रयोज्य अधिनियमों के अधीन शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, निरीक्षण से छूट प्राप्त करेगा।

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में निरीक्षण करने से नहीं रोकेगी, जहाँ ऐसा निरीक्षण लोक स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक हो।

- (५) सरकार, अधिसूचना द्वारा आधार पर प्रारंभ प्रमाण-पत्र इस धारा के अधीन उपबंधित लाभो के लिए पात्र उद्यमों अथवा स्वीकृतियों की अतिरिक्त श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
- (६) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी उद्यम को किसी केंद्रीय विधि के अनुपालन से छूट नहीं देगी।

उद्यम के कर्तव्य.

९. (१) इस अध्याय के अधीन स्व-घोषणा प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक उद्यम, सही एवं पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा कोई मिथ्या अथवा भ्रामक कथन नहीं करेगा या किसी तात्त्विक तथ्य को नहीं छिपाएगा।
- (२) इस अध्याय के अधीन लाभ प्राप्त करने वाला प्रत्येक उद्यम, ऐसे उद्यम की स्थापना, निर्माण एवं परिचालन को प्रशासित करने वाली विधि के प्रयोज्य उपबंधों का अनुपालन करेगा।
- (३) जहाँ किसी उद्यम ने मिथ्या अथवा भ्रामक जानकारी देकर अथवा किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाकर इस अध्याय के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया है, वहीं राज्य नोडल एजेंसी, उद्यम को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रयोज्य अधिनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा लाभ वापस ले सकेगा।

अध्याय-पांच

एकल खिड़की प्रणाली, आवेदनों का संसाधन और परिवाद निवारण

निवेश आशय.

१०. (१) कोई उद्यम स्थापित अथवा विस्तारित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में जैसा कि विहित किया जाए, राज्य नोडल एजेंसी को स्वेच्छा से निवेश आशय प्रस्तुत कर सकेगा।
- (२) निवेश आशय अबंधनकारी होगा और इस अधिनियम के अधीन न ही यह कोई आवेदन होगा और नहीं कोई अधिकार अथवा बाध्यता प्रदान करेगा।

आवेदन और
एकल खिड़की
प्रणाली.

११. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी स्वीकृति के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में जैसा कि विहित किया जाए एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (२) राज्य नोडल एजेंसी, विहित संयुक्त आवेदन प्ररूप के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों की प्राप्ति, संसाधन एवं निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली स्थापित एवं अनुरक्षित करेगा।

१२. (१) प्रत्येक आवेदन पर कार्यवाही और उसका निपटारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। समय-सीमा में आवेदनों पर कार्यवाही।
- (२) सक्षम प्राधिकारी, किसी आवेदन के निपटारे हेतु अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा कर सकेगा, तथापि, ऐसी कोई अपेक्षा केवल एक बार और आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सात दिन के भीतर की जाएगी।
१३. (१) जहाँ कोई आवेदन विहित समय सीमा के भीतर निपटारा नहीं जाता है। वहाँ वह, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संबंधित विभाग में अगले उच्चतर प्राधिकारी को स्वतः प्रकरण-वर्धित माना जाएगा। स्वतः वृद्धि।
- (२) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात प्रयोज्य अधिनियमों के अधीन उपलब्ध किसी अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य उपचार को प्रभावित नहीं करेगी।

अध्याय-छह

औद्योगिक भूमि और भवनों का प्रबंधन

१४. कोई उद्यम, सक्षम प्राधिकारी को सूचना के आधार पर:- सूचना आधारित संव्यवहार।
- (i) किसी औद्योगिक भूमि का अंतरण, पुनः समनुदेशन (reassign) अथवा उप पट्टा कर सकेगा;
- (ii) अपनी औद्योगिक भूमि का अन्य आबंटियों के साथ उपविभाजन, विभाजन, सम्मेलन अथवा समूहन कर सकेगा; तथा
- (iii) अपने उद्यम का किसी सहबद्ध, सहायक, संयुक्त उपक्रम अथवा किसी अन्य उत्तरवर्ती संस्था को अंतरण कर सकेगा।
- (iv) अनुज्ञेय होने अध्याधीन रहते हुए भूमि उपयोग में परिवर्तन कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए।
१५. किसी उद्यम को औद्योगिक भूमि पर अपने पट्टा अधिकारों को भूमिस्वामी अधिकार (फ्रीहोल्ड) में परिवर्तित कराने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। भूमिस्वामी अधिकार (फ्रीहोल्ड) में परिवर्तन।
१६. धारा १४ एवं धारा १५ के अधीन प्रत्येक संव्यवहार अथवा क्रियाकलाप ऐसे प्रीमियम, फीस, प्रभार तथा ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा, जो भवन नियमों के अधीन विहित किया जाए। सामान्य शर्तें।
१७. (१) सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में:- विकास मानदंड और सामान्य अवसंरचना।
- (एक) फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), सेटबैक, भू-आच्छादन, भूखंड आकार पार्किंग ऊँचाई प्रतिबंध तथा ऐसे अन्य विकास मापदण्ड सहित उद्योग अनुकूल विकास मानदंड, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, विहित कर सकेगा,
- (दो) श्रमिकों, संभावित श्रमिकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस कम लागत आवास की अनुशा दे सकेगा तथा औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर वॉफ-टू-वर्क की अवधारणा को प्रोत्साहित कर सकेगा तथा
- (तीन) स्वयं द्वारा अथवा लोक निजी भागीदारी के माध्यम से, उपयोगिताओं लॉजिस्टिक अग्नि सुरक्षा अवसंरचना (लोक अग्नि हाइड्रेट सहित, सामान्य बहि साव उपचार प्रणालियों, श्रमिक सुरक्षा, कल्याण, पालनाघर तथा ऐसी अन्य सुविधाओं सहित, जैसा कि विहित किया जाए सामान्य अवसंरचना और सेवाएँ उपलब्ध करा सकेगा विकसित कर सकेगा, संचालित कर सकेगा अथवा अनुरक्षित कर सकेगा, और ऐसी फीस अथवा उपयोगकर्ता प्रभार वसूल कर सकेगा, जो विहित की जाएँ।

- (२) औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित औद्योगिक स्थापनाएँ, अपने संसाधनों के समूहन के माध्यम से, अग्नि सुरक्षा, सामान्य बहिःस्राव उपचार, श्रमिक सुरक्षा और कल्याण सहित सामान्य अधोसंरचना और सेवाओं की स्थापना अथवा उपयोग कर सकेंगी.

अध्याय-सात

निवेश संवर्धन और शिकायत निवारण

राज्य और जिला निवेश संवर्धन समिति द्वारा प्रकरणों का सुविधाकरण

- (१८) धारा ३ और ४ के अधीन गठित राज्य और जिला निवेश संवर्धन समिति, विषयों के निवारण अंतर-विभागीय समन्वय, निवेशक की शिकायत और निवेश परियोजनाओं में सुविधाकरण, समन्वय और सहायता करेगी.

निवेशक शिकायत निवारण तंत्र.

- (१९) (१) कोई उद्यम अपने लाइफ साइकल के दौरान व्यथित हो अथवा किसी कठिनाई का सामना कर रहा हो, अपनी शिकायत एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा.
- (२) राज्य नोडल एजेंसी, प्रस्तुत शिकायत का अनुवीक्षण और पुनर्विलोकन करेगी तथा संबंधित विभागों और सक्षम प्राधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से उनके निवारण को सुगम बनाएगी.

अध्याय-आठ

विविध

शास्त्रियाँ.

- (२०) जहाँ राज्य नोडल एजेंसी का कोई सक्षम प्राधिकारी, अधिकारी अथवा कर्मचारी, समय-सीमा के भीतर किसी स्वीकृति पर कार्यवाही अथवा निपटान करने में विफल रहता है, वहाँ ऐसा प्राधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार शास्त्रि के अधिरोपण का दायी होगा.

अधिनियम का राज्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव

- (२१) इस अधिनियम के उपबंधों का, यथासंभव, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि के उपबंधों के साथ सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा. जहाँ कोई असंगति उत्पन्न होती है, वहाँ ऐसी राज्य विधि का, यथासंभव सीमा तक, इस प्रकार अर्थान्वयन और प्रयोग किया जाएगा. जिससे इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी किया जा सके.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

- (२२) (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेंगी. जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों. जो कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा.

निर्देश देने की शक्ति.

- (२३) सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे सामान्य अथवा विशेष निर्देश जारी कर सकेंगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन समझे जाएँ.

नियम बनाने की शक्ति.

- (२४) (१) सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेंगी.

(२) विशेषतः, और सामान्य शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(एक) धारा ८, १० तथा ११ के अधीन स्व-घोषणाओं, निवेश का आशय आवेदन, संयुक्त आवेदन प्ररूप तथा अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने का प्ररूप एवं रीति.

(दो) धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन आवेदनों के स्वतः आगे बढ़ा दिए जाने की रीति,

(तीन) अध्याय ६ के अधीन विषयों को प्रशासित करने वाली शर्तें एवं रीति.

(चार) धारा १८ के अधीन राज्य निवेश संवर्धन समिति और जिला निवेश संवर्धन समिति द्वारा सुविधाकरण की शक्तियाँ, कृत्य और रीति.

(पाँच) धारा १९ के अधीन निवेशक की शिकायत के प्रस्तुतीकरण, पावती, अनुवीक्षण, सुविधाकरण, समन्वय, निपटान और संसूचना की रीति.

(छह) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित हो अथवा विहित किया जा सके, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित हो अथवा किया जा सके.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

(२५) (१) शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची करने का परिवर्धन, उसमें से लोप, संशोधन, परिवर्तन अथवा उपांतरण कर सकेगा, और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी. अनुसूचियों को संशोधित की.

(२) इस धारा के अधीन बनाई गई प्रत्येक अनुसूची, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी.

२६. (१) शासन, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति, राज्य नोडल एजेंसी किसी सक्षम प्राधिकारी, ईज अहफ डूइंग बिजनेस सचिवालय, अथवा उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गए किसी नियम, अधिसूचना, आदेश अथवा निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में, कोई वाद अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२७. (१) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, निम्नलिखित अधिनियमितियाँ एतद्वारा निरासत हो जाएगी अर्थात्- निरसन और व्यावृत्तियाँ.

(एक) मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, २००८ (क्रमांक २१ सन् २००८) और

(दो) मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, २०२३ (क्रमांक १३ सन् २०२३).

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियमितियों के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यता, दायित्व, अनुमोदन, स्वीकृति, अनुज्ञा, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, प्रमाण-पत्र, छूट, रियायत, प्रोत्साहन, अधिसूचना, आदेश अथवा निदेश जारी किया गया हो. कोई कार्यवाहियों अथवा आवेदन लंबित हों, अथवा निरसित अधिनियमितियों के अधीन उद्भूत कोई अन्य विषय सम्मिलित है. जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई अथवा की गई समझी जाएगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि इस अधिनियम के अनुसार उपांतरित, अतिष्ठित अथवा अन्यथा व्यवहार न किया जाए.

स्पष्टीकरण: संदेहों के निवारण के लिए, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निरसित अधिनियमितियों में से किसी के अधीन अनुदत्त और इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान कोई अनुमोदन, स्वीकृति, अनुज्ञा, पंजीयन, आवंटन, पट्टा छूट, रियायत अथवा प्रोत्साहन, केवल ऐसे निरसन के कारण अविधिमान्य नहीं होगा अथवा उसे नए सिरे से अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी.

अनुसूची

(धारा ३ देखिए)

राज्य निवेश सुविधा समिति का गठन तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य

क. गठन

१. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन- अध्यक्ष
२. प्रभारी सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग सदस्य- संयोजक
३. प्रभारी सचिव, वित्त विभाग- सदस्य
४. प्रभारी सचिव, राजस्व विभाग- सदस्य
५. प्रभारी सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग- सदस्य
६. प्रभारी सचिव, ऊर्जा विभाग- सदस्य
७. प्रभारी सचिव, श्रम विभाग - सदस्य
८. प्रभारी सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य
९. प्रभारी सचिव एमएसएमई विभाग - सदस्य
१०. प्रभारी सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य
११. प्रभारी सचिव, गृह विभाग - सदस्य
१२. ऐसे अन्य सचिव, विभागाध्यक्ष, अधिकारी, शासकीय एजेंसी के प्रतिनिधि अथवा विषय- विशेषज्ञ, जो शासन द्वारा समय-समय पर नामनिर्दिष्ट अथवा अधिसूचित किए जाएँ - सदस्य.

ख. शक्तियाँ और कृत्य

राज्य निवेश सुविधा समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात:-

- (एक) इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत मार्गदर्शन और सामरिक पर्यवेक्षण उपलब्ध कराना;
- (दो) निवेश सुविधा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथा एकल खिड़की प्रणाली के निष्पादन का पुनर्विलोकन और निगरानी करना;
- (तीन) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, प्रयोज्य अधिनियमों के अनुरूप, ऐसे निदेश अथवा संस्तुतियाँ जारी करना;
- (चार) औद्योगिक विकास और निवेश सुविधा से संबंधित नीतिगत तथा अंतर-विभागीय विषयों पर विचार करना, और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना; तथा
- (पाँच) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो शासन द्वारा विहित किए जाएँ;

अनुसूची दो

[धारा ४ देखिए]

जिला निवेश सुविधा समिति का गठन तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य

क. गठन

१. जिले का कलक्टर - अध्यक्ष
२. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र/कार्यपालक निदेशक, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड - सदस्य-संयोजक.
३. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी - सदस्य
४. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य
५. जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
६. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
७. मुख्य नगर पालिका अधिकारी/संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय का आयुक्त - सदस्य
८. जिला अधिकारी, माप-तौल - सदस्य
९. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा / कारखाना निरीक्षक सदस्य
१०. अग्निशमन अधिकारी अथवा प्रतिनिधि - सदस्य
११. ऐसे अन्य अधिकारी अथवा विभागों, एजेंसी, स्थानीय निकायों अथवा सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि, जो शासन द्वारा समय-समय पर नामनिर्दिष्ट अथवा अधिसूचित किए जाएँ - सदस्य.

. जिन जिलों में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है वहाँ मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यपालक निर्देशवा समिति के सदस्य-संयोजक के रूप में कार्य करेगा.

ख. शक्तियाँ और कृत्य

जिला निवेश सुविधा समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्या का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (एक) एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों की प्रक्रिया और समयबद्ध निपटान की समीक्षा, निगरानी और सुविधा प्रदान करना.
- (दो) सक्षम प्राधिकारियों, जिला प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करके उद्यमों की स्थापना, परिचालन और विस्तार को सुविधाजनक बनाना.
- (तीन) निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना, कार्यान्वयन संबंधी अवरोधों का निवारण करना तथा तत्संबंधी शिकायतों की समीक्षा करना;
- (चार) अपने विचार-विमर्श के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी अथवा विषय विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित करने के रूप में आमंत्रित करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएँ तथा.
- (पांच) ऐसे अंतरालों पर बैठक करना, जो आवश्यक हों, किंतु प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अवश्य हो.

अनुसूची ३

[धारा ६ (१) देखिए]

राज्य नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और कृत्य

धारा ५ के अधीन पदाभिहित राज्य नोडल एजेंसी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

- (एक) एकल खिड़की प्रणाली अथवा समाकलित विभागीय पोर्टलों के माध्यम से प्रस्तुत स्वीकृतियों हेतु आवेदनों की प्राप्ति, प्रक्रिया, सुविधा प्रदान कर निपटान करना;
- (दो) उद्यमों को सहूलियत देना और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभागों सक्षम प्राधिकारियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करना;
- (तीन) निवेश परियोजनाओं, आवेदनों और शिकायतों का अनुवीक्षण करना, तथा अवरोधों के निवारण को सुगम बनाना;
- (चार) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऐसी जानकारी, अभिलेख, विवरणियाँ अथवा प्रतिवेदन माँगना;
- (पांच) विनियामक ढाँचे की समीक्षा करना तथा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृतियों के समावेशन अथवा अपवर्जन सहित विनियामक, संस्थागत और प्रक्रियात्मक सुधारों की संस्तुति करना;
- (छह) एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से स्वीकृतियों के अनुदान तथा निर्माण एवं परिचालन के प्रारंभ हेतु निपटान समय (टर्न अराउंड टाइम) का समीक्षा और प्रकाशन करना, प्रश्नों विलंबों और अस्वीकृतियों का विश्लेषण करना, तथा सरलीकरण, निपटान समय में कमी और सेवा प्रदाय के सतत सुधार हेतु उपायों की संस्तुति करना;
- (सात) इस अधिनियम के अधीन निवेशक सुविधा, समन्वय और सहायता के लिए निजी क्षेत्र सहित एजेंसी अथवा सेवा प्रदाताओं को संलग्न करना; तथा.
- (आठ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो शासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएँ.

अनुसूची चार

(धारा ७ देखिए)

राज्य नोडल एजेंसी के अधीन स्वीकृतियाँ

क्र.	सेवा का नाम	विभाग
(१)	(२)	(३)
१	सोसाइटी पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
२	भागीदारी फर्म पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
३	सहकारी समिति पंजीयन	सहकारिता विभाग
४	भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन)	राजस्व विभाग

(१)	(२)	(३)
५	जल अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र	लोक स्वास्थ्य पात्रिकी
६	आईटी यूनिट प्रमाण-पत्र	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
७	औद्योगिक भूमि आवंटन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
८	औद्योगिक क्षेत्रों में भवन नक्शा स्वीकृति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
९	औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रदाय	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
१०	औद्योगिक क्षेत्र में भवन नक्शे का उपांतरण	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
११	भवन नक्शा स्वीकृति	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१२	अग्नि योजना (फायर प्लान) स्वीकृति औद्योगिक/वाणिज्यिक स्थापनाओं हेतु व्यापार	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१३	अनुज्ञप्ति	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१४	साइनेज अनुज्ञप्ति	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१५	लिफ्ट अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
१६	स्थापना हेतु सहमति-श्वेत श्रेणी	पर्यावरण विभाग
१७	स्थापना हेतु सहमति - हरित श्रेणी	पर्यावरण विभाग
१८	स्थापना हेतु सहमति- नारंगी श्रेणी	पर्यावरण विभाग
१९	स्थापना हेतु सहमति- लाल श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२०	परिचालन हेतु सहमति - श्वेत श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२१	परिचालन हेतु सहमति - हरित श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२२	परिचालन हेतु सहमति - नारंगी श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२३	परिचालन हेतु सहमति - लाल श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२४	परिचालन सहमति का - नवीनीकरण श्वेत श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२५	परिचालन सहमति का - नवीनीकरण हरित श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२६	परिचालन सहमति का नवीनीकरण नारंगी श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२७	परिचालन सहमति का-नवीनीकरण लाल श्रेणी	पर्यावरण विभाग
२८	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन प्राधिकार.	पर्यावरण विभाग
२९	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन प्राधिकार	पर्यावरण विभाग
३०	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियमों के अधीन	पर्यावरण विभाग

क्र. (१)	सेवा का नाम (२)	विभाग (३)
प्राधिकार		
३१	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन प्राधिकार	पर्यावरण विभाग
३२	विद्युत अवसंरचना प्राक्कलन स्वीकृति	ऊर्जा विभाग
३३	डीजी सेट रेखांकन स्वीकृति (१००-५०० केवीए)	ऊर्जा विभाग
३४	डीजी सेट निरीक्षण स्वीकृति (१००-५०० केवीए)	ऊर्जा विभाग
३५	डीजी सेट रेखांकन स्वीकृति (५००-५००० केवीए)	ऊर्जा विभाग
३६	डीजी सेट निरीक्षण स्वीकृति (५००-५००० केवीए)	ऊर्जा विभाग
३७	डीजी सेट रेखांकन स्वीकृति (५००० केवीए से अधिक)	ऊर्जा विभाग
३८	डीजी सेट निरीक्षण स्वीकृति (५००० केवीए से अधिक)	ऊर्जा विभाग
३९	सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादकों हेतु ग्रिड संयोजकता स्वीकृति	ऊर्जा विभाग
४०	विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र	ऊर्जा विभाग
४१	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अधीन पंजीयन	श्रम विभाग
४२	संविदा श्रम अधिनियम के अधीन ठेकेदार अनुज्ञप्ति	श्रम विभाग
४३	संविदा श्रम अधिनियम के अधीन मुख्य नियोक्ता का पंजीयन	श्रम विभाग
४४	कारखाना नक्शा स्वीकृति	श्रम विभाग
४५	कारखाना अनुज्ञप्ति	श्रम विभाग
४६	अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति	श्रम विभाग
४७	मोटर परिवहन कामगार अधिनियम के अधीन पंजीयन	श्रम विभाग
४८	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों का पंजीयन	श्रम विभाग
४९	बॉयलर पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५०	बॉयलर के अंतरण हेतु अनुमति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५१	बॉयलर विनिर्माण हेतु स्वीकृति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५२	बॉयलर विनिर्माता का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५३	बॉयलर मरम्मतकर्ता का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५४	बॉयलर संस्थापक (इंरेक्टर) का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
५५	नई विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
५६	विनिर्माता अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
५७	नई डीलर अनुज्ञप्ति	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
५८	डीलर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
५९	नई मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६०	मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

क्र. (१)	सेवा का नाम (२)	विभाग (३)
६१	पैकेज्ड वस्तुओं के विनिर्माता/आयातक/पेकर का पंजीयन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६२	भार एवं माप उपकरणों की मूल मुद्रांकन (ऐसेभार उपकरण जो कार्यालय या शिविर में लाए जाते हैं.)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६३	भार एवं माप उपकरणों की मूल मुद्रांकन (भार उपकरण जिन्हें उनके स्थान से हटाया न जाए)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६४	पेट्रोल/डीजल वितरण पंप की मूल मुद्रांकन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६५	फ्लो मीटर की मूल मुद्रांकन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६६	सीएनजी/एलपीजी वितरण पंप की मूल मुद्रांकन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६७	भंडारण टैंक की मूल मुद्रांकन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६८	भार एवं माप उपकरणों का पुनर्सत्यापन (ऐसे भार उपकरण जो कार्यालय या शिविर में लाए जाते हैं)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
६९	भार एवं माप उपकरणों का पुनर्सत्यापन (भार उपकरण जिन्हें उनके स्थान से हटाया न जाए)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७०	पेट्रोल/डीजल वितरण पंप का पुनर्सत्यापन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७१	फ्लो मीटर का पुनर्सत्यापन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७२	सीएनजी/एलपीजी वितरण पंप का पुनर्सत्यापन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७३	भंडारण टैंक का पुनर्सत्यापन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७४	भंडारण गृह अनुज्ञप्ति (खाद्यान)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
७५	कर्मचारी व्यवसाय कर पंजीयन	वाणिज्यिक कर विभाग
७६	नियोक्ता व्यवसाय कर पंजीयन	वाणिज्यिक कर विभाग

अनुसूची पांच
[धारा ८ देखिए]

स्व-घोषणा के आधार पर निर्माण और स्थापना गतिविधियों के प्रारंभ हेतु पात्र स्वीकृतियाँ

क्र. (१)	सेवा का नाम (२)	विभाग (३)
१	औद्योगिक क्षेत्रों में भवन नक्शा स्वीकृति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
२	औद्योगिक क्षेत्र में भवन नक्शे का उपांतरण	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
३	औद्योगिक/वाणिज्यिक स्थापनाओं हेतु व्यापार अनुज्ञप्ति	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
४	स्थापना हेतु सहमति श्वेत - श्रेणी	पर्यावरण विभाग
५	स्थापना हेतु सहमति - हरित श्रेणी	पर्यावरण विभाग
६	परिचालन हेतु सहमति - श्वेत श्रेणी	पर्यावरण विभाग
७	परिचालन हेतु सहमति हरित श्रेणी	पर्यावरण विभाग

क्र. (१)	सेवा का नाम (२)	विभाग (३)
८	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अधीन पंजीयन	श्रम विभाग
९	संविदा श्रम अधिनियम के अधीन ठेकेदार अनुज्ञप्ति	श्रम विभाग
१०	संविदा श्रम अधिनियम के अधीन मुख्य नियोक्ता का पंजीयन	श्रम विभाग
११	कारखाना नक्शा स्वीकृति	श्रम विभाग
१२	अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति	श्रम विभाग
१३	मोटर परिवहन कामगार अधिनियम के अधीन पंजीयन	श्रम विभाग
१४	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों का पंजीयन	श्रम विभाग
१५	बॉयलर पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
१६	बॉयलर के अंतरण हेतु अनुमति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
१७	बॉयलर विनिर्माण हेतु स्वीकृति	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
१८	बॉयलर विनिर्माता का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
१९	बॉयलर मरम्मतकर्ता का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
२०	बॉयलर संस्थापक (इंरेक्टर) का पंजीयन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
२१	पैकेज्ड वस्तुओं के विनिर्माता/आयातक/पैकर का पंजीयन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
२२	कर्मचारी व्यवसाय कर पंजीयन	वाणिज्यिक कर विभाग
२३	नियोक्ता व्यवसाय कर पंजीयन	वाणिज्यिक कर विभाग

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश शासन ने पारदर्शी, पूर्वानुमेय, डिजिटल और निवेशक अनुकूल विनियामक पारिस्थिति की तंत्र सृजित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवसाय सुधार, अनुपालन न्यूनीकरण, गैर विनियमन (डीरेगुलेशन) और विश्वास आधारित शासन संबंधी राष्ट्रीय पहलों के अनुसरण में, राज्य में उद्यमों की स्थापना, विस्तार और परिचालन को सुगम बनाने के लिए व्यापक विधिक ढांचा उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है।

- यह विधेयक, राज्य निवेश सुविधा समिति, जिला निवेश सुविधा समिति राज्य नोडल एजेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय विनियामक स्वीकृतियों के समयबद्ध संसाधन हेतु एकल खिड़की प्रणाली, विनिर्दिष्ट प्रकरणों में स्व-घोषणा के आधार पर स्थापना और परिचालन का प्रारंभ, औद्योगिक भूमि और भवनों के कुशल प्रबंधन आवेदनों के डिजिटल संसाधन, प्रभावी अंतर विभागीय समन्वय तथा पारदर्शी जवाबदेह और निवेशक केंद्रित शासन ढांचे का उपबंध करके एक एकीकृत संस्थागत और विनियामक ढांचा स्थापित करने की वांछ करना है।
- और यह विधेयक सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाओं, राज्य नोडल एजेंसी को शक्तियों के प्रत्यायोजन, औद्योगिक भूमि और भवनों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना के संवर्धन, प्रक्रियात्मक बोझ में कमी, तथा राज्य में डिजिटल शासन और व्यवसाय की सुगमता को सुदृढ़ करने के माध्यम से औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने की वांछ करता है।
- यह विधेयक मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, २००८ और मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, २०२३ को निरसित करने तथा निवेश सुविधा और व्यवसाय की सुगमता से संबंधित विधिक ढांचे को एक एकल व्यापक अधिनियमिति के अधीन समेकित और आधुनिकीकृत करने की भी वांछ करता है।
- यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति का वांछ करता है।
- अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक : १९ जुलाई, सन् २०२६

श्रीमती कृष्णा गौर

भारसाधक सदस्य

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधेयक, २०२६ के जिन खंडों में विधायनी शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्थापनायें हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	धारा क्रमांक	प्रत्यायोजन का विषय
१	धारा ८	स्थापना प्रमाण-पत्र हेतु रीति बनाने की शक्ति.
२	धारा १०	निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त का प्रारूप एवं रीति बनाने की शक्ति.
३	धारा ११	एकल खिड़की प्रणाली, आवेदनों हेतु निर्धारित सिस्टम बनाने, प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति.
४	धारा १३ (१)	स्वतः वृद्धि तंत्र बनाने की शक्ति.
५	धारा १४	औद्योगिक भूमि और भवनों के लिये सूचना आधारित संव्यवहार हेतु प्रीमियम, फीस, प्रभार तथा अन्य शर्तों हेतु नियम बनाने और अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्तियाँ
६	धारा १५	भूमिस्वामी अधिकार हेतु प्रीमियम, फीस, प्रभार तथा अन्य शर्तों हेतु नियम बनाने और अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्तियाँ.
७	धारा १६	औद्योगिक भूमि और भवनों के लिये सूचना आधारित संव्यवहार एवं भूमिस्वामी अधिकार हेतु प्रीमियम, फीस, प्रभार तथा अन्य शर्तों हेतु नियम बनाने और अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्तियाँ.
८	धारा १७	औद्योगिक भूमि और भवनों के प्रबंधन हेतु विकास मापदंड और अधोसंरचना विकास हेतु नियम जारी करने की शक्तियाँ.
९	धारा १८	राज्य सरकार द्वारा राज्य एवं जिला निवेश संवर्धन समिति को सुविधाकरण कृत्य और रीति के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति.
१०	धारा १९	निवेशक शिकायत तंत्र बनाने की शक्ति.
११	धारा २२	राज्य सरकार को कठिनाईयाँ दूर करने हेतु राजपत्र में आदेश प्रकाशित करने हेतु शक्तियाँ दी जा रही हैं.
१२	धारा २३	उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे सामान्य अथवा विशेष निर्देश जारी करने की शक्तियाँ.
१३	धारा २४	नियम बनाने और अधिसूचनाएँ जारी करने की शक्तियाँ.
१४	धारा २५	अनुसूची करने का परिवर्धन एवं उसमें से लोप, संशोधन, परिवर्तन अथवा उपांतरण करने की शक्ति.

प्रस्तावित विधेयक में उपरोक्तानुसार विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्थापनायें हैं, जो सामान्य स्वरूप की हैं.

अरविन्द शर्मा

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा.